

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

सीमा की निवेदन की शर्त का भी के 2017 का
176, 177, 179 के हसी उर्फ ककमणी दर्ज है नं० 20/11/7-195
के ककमणी दर्ज है पटवारी परिचयपत्र के हंसी दर्ज है रिपोर्ट
रिपोर्ट के हंसी दर्ज की हकी गये।

19/5/15
गुणकपवली

रिपोर्ट पटवारी के नुमांश गृह नं० 20/11/7-195
19/5/15

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

पराधिका रिपोर्ट पटवारी नं० 20/11/7-195 के रिपोर्ट का नाम
हंसी रिपोर्ट जाना जानते हैं

19/5/15

19.5.15

(अशोक मिश्र)
नायब तहसीलदार

आदेश

लोक अदालत के नुमांश ककमणी

19-5-15 प्राथिया हंसो देवी पत्नि रामसिंह ने उसके रवाता
सं० 176, 177, 179 ~~के~~ ग्राम कडीगांवडी में दर्ज नाम हंसो देवी
उर्फ ककमणी पत्नि रामसिंह के स्थान पर हंसो देवी तथा रवाता सं०
195 में दर्ज नाम ककमणी पत्नि रामसिंह के स्थान पर हंसो
देवी पत्नि रामसिंह दर्ज करने का निवेदन किया है। पटवारी, ILR
व नायब तहसीलदार ने प्राथिकापत्र के अनुसार दुरुस्ती करने की
अनुशंसा की है। प्राथिकापत्र पर प्राथिया को सुना गया।
प्राथिया का कथन है कि उसका रेकार्ड में नाम हंसो उर्फ
ककमणी है जिसे वह हंसो ही करवाना चाहती है। उसके द्वारा
इस मामले कई दस्तावेज भी पेश किए गए हैं। अतः प्रस्तुत रेकार्ड
के रिपोर्ट पटवारी ILR, नायब तहसीलदार के अनुसार प्राथिका
नाम दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापूर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प कुनकटाकला

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कुनकटाकला व भू.अ.नि. कुनकटा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार तलावाडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कडीगांवडी तहसील गंगापूर जिला..... की जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में खाता संख्या 176, 177, 179 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	कडीगांवडी	176	हंसी उर्फ ककमणी देवी पत्नि रामसिंह $\frac{1}{2}$	हंसी देवी पत्नि रामसिंह $\frac{1}{2}$
2.	—	177	हंसी उर्फ ककमणी देवी पत्नि रामसिंह $\frac{1}{4}$	हंसी देवी पत्नि रामसिंह $\frac{1}{4}$
3.	—	179	हंसी उर्फ ककमणी पत्नि रामसिंह $\frac{1}{2}$	हंसी देवी पत्नि रामसिंह $\frac{1}{2}$
4.	—	195	ककमणी देवी धर्मपत्नि रामसिंह	हंसी देवी पत्नि रामसिंह

जमाबन्दी में उपरोक्त खातों में दर्ज प्रविष्टि सुधारा रहेगी।

(मुनि देव बाबू)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलक्टर, गंगापूर सिटी

कमांक :- 37-39

दिनांक :- 19-5-2015

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार गंगापूर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री हंसी देवी पत्नि रामसिंह, कडीगांवडी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

19/5/15

गंगापूर सिटी
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,
गंगापूर सिटी